

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी सरकारी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक २५ अगस्त, 2016.

विषय - सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर ग्रेड पे ₹1800 एवं ग्रेड पे ₹1900 के साथ-साथ ग्रेड पे ₹2000 पर भी नियुक्ति एवं प्रशिक्षण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के क्रम में आवेदन कर्त्ता के शैक्षणिक अर्हता को ध्यान में रखते हुए ग्रेड पे ₹1800 अथवा ग्रेड पे ₹1900 के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुकम्पा समितियों द्वारा अनुशंसा करने का प्रावधान किया गया है। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति किसी संवर्ग विशेष के मूल कोटि के पदों पर ही की जा सकती है।

2. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के प्रसांग में सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है कि विभिन्न सेवाओं के संवर्ग नियमावलियों के तहत संवर्ग के मूल कोटि के सीधी भर्ती से भरे जानेवाले पदों का एवं पूर्व निर्धारित प्रतिशत ही अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रावधानित/आरक्षित किया गया है। अतः अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु पद सीमित किये जाने के कारण अनुकम्पा समितियों की अनुशंसा के बावजूद सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित का पद उपलब्ध नहीं रहने के कारण समय अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ नहीं मिल पाता है जिससे उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है।

3. अतः सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अनुकम्पा समितियों द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा, उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रखकर, सीधी भर्ती से भरे जाने वाले ग्रेड पे ₹1800 (मैट्रिक उत्तीर्ण), ग्रेड पे ₹1900 एवं ग्रेड पे ₹2000 (मैट्रिक से उच्चतर योग्यताधारी) के पद पर की जा सकेगी। अनुशंसा के अनुरूप पैतृक विभाग में (जहाँ मृत्यु के समय सरकारी सेवक पदरथापित रहे हों।) ग्रेड पे ₹2000 का पद उपलब्ध नहीं हो, तो

नियुक्ति प्राधिकार द्वारा ग्रेड पे ₹1900 के पद पर तथा ग्रेड पे ₹1900 का पद उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में ग्रेड पे ₹1800 के पदों पर उक्त पद हेतु विहित योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी की नियुक्ति की जायेगी।

4. पैतृक विभाग में ग्रेड पे ₹2000, ग्रेड पे ₹1900 एवं ग्रेड पे ₹1800 में रिक्त उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मुख्य सचिव के रतर से निर्गत परिपत्र सं0-2271 दिनांक-02.07.2007 में विहित प्रक्रियानुसार अन्य लिभागों में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति करने का अनुरोध पैतृक विभाग द्वारा किया जायेगा तथा संबंधित लिभाग के नियुक्ति प्राधिकार द्वारा अपने विभाग/कार्यालय में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध मृत सरकारी रोक के आश्रित की नियुक्ति संबंधित अनुकम्पा समिति की अनुशंसा के आलोक में की जायेगी।

5. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति कर्मियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय भी लिए गये हैं :-

(क) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति कर्मियों को उनके रावर्ग हेतु विहित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(ख) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति कर्मियों को सेवा/संवर्ग नियमावली में विहित प्रावधानों के आलोक में परिवीक्षा अवधि में टंकण एवं कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

6. अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पूर्व में निर्गत परिपत्र सं0-5958 दिनांक-25.04.2012 की कंडिका-'ख' तथा कंडिका-'घ' के प्रावधान उपर्युक्त हद तक संशोधित समझो जायेंगे तथा शेष प्रावधान पूर्तवत् रहेंगे।

7. उपरोक्त पर मन्त्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

विवारणभाजन

२५/९
(दयानिधान पाण्डेय)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 2569 /पी०-३

43-38-93-2013

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

बिहार, पटना ०५(७)१६

प्रतिलिपि :-

- 1 सभी संबंधित महानिदेशक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
- 2 सभी अपर पुलिस महानिदेशक(सभी इकाई सहित), बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
- 3 सभी पुलिस महानिरीक्षक (सभी इकाई सहित), बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
- 4 सभी पुलिस उप-महानिरीक्षक (सभी इकाई सहित), बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
- 5 सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक(सभी इकाई सहित)/सभी समादेष्टा(सैन्य पुलिस)/सभी प्राचार्य (प्रशिक्षण संस्थान)/सहायक निदेशक(प्रशासन) बिहार पुलिस अकादमी, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
- 6 पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (निरीक्षण)/पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (व्यू) को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
- 7 प्रभारी, महानिदेशक नियंत्रण कक्ष, पटना को सभी संबंधित को प्रेषण करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
- 8 आई०टी० मैनेजर, पुलिस महानिदेशक के कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

४-९-१६
पुलिस महानिरीक्षक (बजट/अपील/कल्याण),
बिहार, पटना